राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज्ञ अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के आर मारू, RAS

2 श्री शंकरलाल, कालूराम वगैरा बनाम श्री राज० राज्य द्वारा जिलाकलेक्टर भीलवाड़ा, एवं निवर्तमान उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा - वर्तमान उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 RTA

मुकदमा नम्बर 97 सन् 16 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादिगण आर्थिक रूप से स्वीकार किया गया वकील श्री वगैरा पक्ष अनावेदकगण वादित शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आ.नं. 102 रकबा 1-20 है. का. जिला कलेक्टर अधिकारी द्वारा निर्गत पट्टे के अधिक नहीं वगैरा, कालूराम वगैरा एवं के नाम से पट्टे दर्ज है एवं दोनों पक्ष

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलमारी तक अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 2 माह 5 सन् 18

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

नोट

मौके पर पाया गया अतिक्रमण, कानून 50 (1) के तहत मूल निवासियों को वितरण भूमि पट्टा सं. 102 रकबा 1.20 है. में से 1.13 है. रकबा रेकर्ड में इन्द्राज होने के कारण के मद्देनजर कार्यवाही किये जाने से शेष 0.07 है. रकबा वितरण योग्य भूमि शेष रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)